



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1382/2026

अधिवक्ता अहमद नूरी
.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह), लखनऊ के माध्यम से,
पक्ष(गण)
एवं अन्य

.....विपक्षी

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: रिपु दमन शाही, इकबाल अहमद
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष के मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि नामजद अभियुक्तों ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर, सह-अभियुक्तों के साथ एक षड्यंत्र रचा और इसमें शामिल संस्थानों की मिलीभगत से, पिछले 5-6 वर्षों के दौरान, छात्रों के नाम पर धन का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त किया; ऐसा उन्होंने संबंधित कॉलेजों/स्कूलों के बजाय अन्य संस्थानों के नाम पर आवंटन दिखाकर किया, और इस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और गबन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक स्कूल में एक सहायक शिक्षक है। अभियोजन पक्ष के मामले में लगाया गया आरोप, बलरामपुर ज़िले में 'मिड-डे मील योजना' के तहत धन के कथित गबन से संबंधित है। आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया है कि एफ.आई.आर.में लगाए गए समस्त आरोप ग्राम प्रधानों और प्रधानाध्यापक के इर्द-गिर्द ही केंद्रित हैं, जो कि 'आहरण एवं संवितरण प्राधिकारी' के रूप में कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं; जबकि आवेदक, जो कि एक सहायक शिक्षक है, की 'मिड-डे मील योजना' के संचालन अथवा वित्तीय प्रबंधन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि कथित अपराधों का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। आवेदक दिनांक 14.01.2026 से जेल में है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि सह-आरोपी अशोक कुमार गुप्ता और फिरोज अहमद, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2026 के आदेशों के माध्यम से, जमानत आवेदन संख्या 495/2026 और जमानत आवेदन संख्या 292/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने उक्त सह-आरोपियों के साथ समानता की मांग की है और यह निवेदन किया है कि आवेदक का मामला उन सह-अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोपियों की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में है, जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

इसके अलावा, यह भी निवेदन किया जाता है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके फ़रार होने या अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यह आश्वासन दिया जाता है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया है; तथापि, वे रिकॉर्ड से यह इंगित नहीं कर सके कि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप है। उनका निवेदन है कि जाँच अभी भी जारी है।

सह-आरोपी फिरोज अहमद, जो मुख्य आरोपी भी है, के जमानत आदेश को, और साथ ही ऊपर बताए गए अन्य सह-आरोपियों के जमानत आदेशों को ध्यान में रखते हुए; और इसके अलावा इन तथ्यों पर विचार करते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसने जाँच में सहयोग करने का वचन दिया है, कि कथित अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है, और यह कि आवेदक 14.01.2026 से न्यायिक हिरासत में है, यह न्यायालय इस मामले को आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मानता है।

तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक **अधिवक्ता अहमद नूरी**, जो मु0अ0सं0- 0297/2025 धारा 409, 467, 468, 471, 120 B, 201 भा0दं0सं0; पुलिस थाना कोतवाली नगर, जिला बलरामपुर में शामिल है, को उपरोक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होगा।

कोई भी अन्य शर्त (शर्तें), जिसे विचारण न्यायालय/संबंधित न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, भी लगाई जा सकती है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत अर्जी तक ही सीमित हैं, और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

आर.सी.

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।